




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

रामा नन्द महतो

बनाम दिल किशोर महतो वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एम... 42 / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी राँची के अपराधिकी सं०-09/18 दिनांक-10-3-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>दरैलु विवाद एवं खैनी खाक भूक देने को लेका उग्र पन में तनाव है</u>।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति सुख्य होगी या उग्र पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति सुख्य हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं मायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उग्र पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उग्र पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरारो/उरारो प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का वच पत्र उरी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  26/4/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center"> अभिलेख उपस्थापित / उग्र पन उपस्थापित / उग्र पन वताव दाखिल की दिनांक 28-05-18 को रखे। </p> <p align="right">  11/5/18 </p>	


5-18

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

28-05-18

आभिलेख उपस्थापित। अग्रिम पत्र
उपस्थित द्वितीय पत्र ~~कम~~ उपस्थापित।
अग्रिम पत्र जबाब दखिलत कर 7 दिनांक
11-06-18 को रखे।


28/5/18

11-06-18

जीबालीन पदाधिकारी अन्य कार्य में
अस्त। दिनांक 22-06-18 को रखे।

22-06-18

आभिलेख उपस्थापित। अग्रिम पत्र
उपस्थित। अग्रिम पत्र की ओर से संयुक्त
मुतदमासी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
कि अग्रिम पत्र राम की गणमाय व्यक्तियों के
समयशक्ति से सुलभ कलत्रि है। अग्रिम पत्र
संगी गाड़ी है और मुकदमा लड़ना नहीं चाहते है
तथा मुकदमा को समाप्त करना चाहते है। यह
कि अग्रिम पत्र में के वीन्य शक्ति मंग


दिनांक

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दैनिकी की कीर्ति सम्भावना नहीं है। यह कि समय पर के सुलझनामा आवेदन को स्वीकार करते इस वाद की सम्भावना को ध्यान में रखा जाय।

समय पर के सम्पूर्ण सुलझनामा आवेदन को स्वीकृत किया जाय है। वाद के समाप्ति की कारवाही बन्द की जाती है।
लेखापत्र एवं संबन्धित


कार्यपालक दस्तावेज
पुण्ड


22/11/18
कार्यपालक दस्तावेज
पुण्ड